

न्यायालय:- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला-अशोकनगर  
(पीठासीन अधिकारी:-जफर इकबाल)

फाइलिंग आर सी टी नंबर 10 / 18

दांडिक प्रकरण क.-14 / 18

संस्थापित दिनांक-16.01.18

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर।		अभियोजन
विरुद्ध		
01-खुशीलाल पुत्र मोहनलाल परिहार आयु 35 वर्ष निवासी ग्राम हंसारी तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर (म0प्र0)		आरोपी
राज्य द्वारा	:- श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.।	
आरोपी द्वारा	:- श्री चौवे अधिवक्ता।	

—: निर्णय :-

(आज दिनांक 14.03.2018 को घोषित)

- 01- आरक्षी केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपी के विरुद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत भा.द.वि. की धारा 341, 294, 323, 506, 498ए के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।
- 02- प्रकरण में कोई उल्लेखनीय स्वीकृत तथ्य नहीं है।
- 03- प्रकरण में उल्लेखनीय है कि आरोपी का फरियादी से राजीनामा हो गया

है जिसके फलस्वरूप आरोपी को भादवि की धारा 294, 323, 341, 506 के आरोप से उन्मोचित किया जा चुका है। यह निर्णय भादवि की धारा 498ए के संबंध में पारित किया जा रहा है।

04— अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले के फरियादी रामकुंवरबाई ने दिनांक 19.10.16 को आरक्षी केंद्र चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि दिनांक 19.10.16 को वन चौकी के पीछे हंसारी गाव के कच्चे रास्ते पर आरोपी ने फरियादिया को बुरी बुरी गालियां दी, लात घूंसों से मारपीट की, रास्ते में रोककर लाठी से मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपीके विरुद्ध अपराध क्रमांक 495/16 के अंतर्गत भादवि की धारा 294, 323, 341, 506, 498ए के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

05— प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा 498ए के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपी का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण नहीं किया गया।

06— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :—

1. क्या आरोपी ने दिनांक 19.10.16 को समय 14:00 बजे वन चौकी के पीछे हंसारी गाव का कच्चा रास्ता, चंदेरी में फरियादिया रामकुंवरबाई के रिश्तेदार होते हुए उसके साथ शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर कूरता कारित की ?

#### —:: सकारण निष्कर्ष ::—

07— अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा. 01 रामकुंवरबाई की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।

08— अभियोजन साक्षी 01 रामकुवंरबाई ने अपने कथन में बताया है कि आरोपी उसका पति है। उक्त साक्षी के अनुसार उसके पति से लेटरिन का गडडा खोदने की बात पर से उसका वाद विवाद हो गया था तथा उसके पति ने उसके साथ झूमा झटकी की थी जिसकी रिपोर्ट प्र0पी01 उसने लेखवद्ध कराई थी। उक्त साक्षी के अनुसार आरोपी ने उसके साथ कोई मारपीट नहीं की। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि आरोपी ने उसे रास्ते में रोककर लाठी से मारपीट की थी। उक्त साक्षी ने इस संबंध में रिपोर्ट प्र0पी01 एवं कथन प्र0पी02 में तथ्य लिखाए जाने से इंकार किया है। अभियोजन द्वारा उपरोक्त साक्षीगण के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी की साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि अभियोजन साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं होता है कि उक्त घटना दिनांक को आरोपी द्वारा फरियादिया के साथ मारपीट कर कूरता कारित की गई।

09— उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियोजन अपना मामला प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः आरोपी को भादवि की धारा 498ए के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

10— आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

11— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं है।

12— आरोपी अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत  
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(जफर इकबाल)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)